



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,  
लखनऊ  
आपराधिक पुनरीक्षण संख्या – 404 /2026

एक्स किशोर अपराधी, उसकी माता के माध्यम से ..... पुनरीक्षणकर्ता (गण)  
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग,  
लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य ..... विपक्षी (गण)

---

पुनरीक्षणकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अमन कुमार श्रीवास्तव, अंकित शुक्ला  
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि,

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका माननीय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, लखीमपुर खीरी द्वारा आपराधिक अपील संख्या 16/2026 (पीड़ित लड़की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 06.02.2026 को पारित निर्णय और आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, लखीमपुर खीरी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) और 351(3) (जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 506 के अनुरूप हैं) पुलिस थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 323/2025 में दिनांक 22.01.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में, पुनरीक्षणकर्ता सहित, तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आगे दलील दिया कि सह-अभियुक्त गोलू उर्फ प्रभाकर और गीता देवी उर्फ सीता देवी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 17/02/2026 के आदेश द्वारा आपराधिक अपील संख्या 4176/2025 और 4180/2025 क्रमशः, में जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने यह भी दलील दिया है कि यह मामला आत्महत्या का है, गला घोटने का नहीं, क्योंकि शव-परीक्षण रिपोर्ट में हायोइड हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया और न ही इसका उल्लेख किया गया है।
4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस प्रार्थना का विरोध किया और विवादित आदेश का समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता की भूमिका उन सह-अभियुक्तों के समान है जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
5. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और माननीय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, लखीमपुर खीरी द्वारा आपराधिक अपील संख्या 16/2026 (पीड़ित लड़की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 06.02.2026 को पारित निर्णय और आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, लखीमपुर खीरी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) और 351(3) (जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 506 के अनुरूप हैं) पुलिस स्टेशन पसगावां, जिला लखीमपुर खीरी, के तहत मुकदमा अपराध संख्या 323/2025 में दिनांक 22.01.2026 को पारित आदेश, को निरस्त किया जाता है।
6. पुनरीक्षणकर्ता, अर्थात्, एक्स किशोर अपराधी उसकी माता के माध्यम से, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) और 351(3) (जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 506 के अनुरूप हैं) पुलिस स्टेशन पसगावां, जिला लखीमपुर खीरी के तहत मुकदमा अपराध

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 323/2025 में जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त पर कि पुनरीक्षणकर्ता के कानूनी अभिभावक/दादा द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत किया जाए, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि वह पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क में नहीं आने देगा या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में नहीं डालेगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल नहीं करेगी और पुनरीक्षणकर्ता को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं करेगा जिससे उसकी जमानत पर रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर दे, उसके कानूनी अभिभावक/दादा द्वारा और एक व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जाए:-

- (1) पुनरीक्षणकर्ता गवाहों को प्रभावित करने या मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा।
- (2) पुनरीक्षणकर्ता मुकदमे के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा और जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (3) पुनरीक्षणकर्ता स्वयं बोर्ड के समक्ष (क) मुकदमा शुरू करना; (ख) आरोप तय करना; और (ग) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने की तिथियों पर उपस्थित रहेगा। यदि बोर्ड की राय में पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो बोर्ड ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और बोर्ड जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

5 जून, 2026

वी. सिन्हा

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।